कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इलाहाबाद।
पत्रांक 6045 /15 दिनांक, इलाहाबाद, मई 31 2018।

सेवामें,

परियोजना प्रबन्धक,
उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0,
सेतु निर्माण इकाई–1, 26 कस्तूरबा गांधी मार्ग,
इलाहाबाद।

विषयः–अर्द्धकुम्भ मेला–2019 हेतु जनपद इलाहाबाद में लाउदर रोड पर रामबाग रेलवे स्टेशन के समीप पूर्वोत्तर रेलवे के इलाहाबाद वाराणसी रेल खण्ड पर स्थित रेल सम्पार सं0–टी/1बी 2लेन उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु बिना वृक्ष पातन के प्रभावित 0.0152 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग हेतु अनुमति के सम्बन्ध में भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव सं0एफ.पी./यू.पी./रोड/30577/2017।

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की पत्र सं0 8बी/यू.पी./06/46/2018/एफ0सी/107 दिनांक 11–05–2018।

उक्त पत्र (छाया प्रति संलग्न) जो आपको एवं इस कार्यालय को पृष्ठांकित है का संदर्भ ग्रहण करें। जिसके माध्यम से भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) द्वारा उक्त विषयक परियोजना की सैद्धांतिक स्वीकृति कतिपय शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है।

अतः आप सैद्धांतिक स्वीकृति में निहित शर्तों की निम्न प्रकार बिन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध करायें जिससे विषयक परियोजना का प्रस्ताव विधिवत स्वीकृति हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) को प्रेषित किया जा सके–

1– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षरोपण हेतु 100 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि रू0 120420.00 होगी जिसे आन लाइन पोर्टल पर ई–पेमेण्ट के माध्यम से कैम्पा निधि में जमा कराना सुनिश्चित करें।

2– (क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल)202/1995 के अर्न्तगत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र सं0 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05–2–2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार इलाहाबाद वन प्रभाग में परियोजना से प्रभावित 0.0152 हे0 संरक्षित वनभूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित धनराशि रू0 9515.00 होगी जिसे आन लाइन पोर्टल पर ई–पेमेण्ट के माध्यम से कैम्पा निधि में जमा की जायेगी।

(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की गयी धनराशि की आन लाइन ई रसीद की छाया प्रति सहित सैद्धांतिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या(जिसमें जमा की गयी धनराशि का मदवार विवरण अर्थात क्षतिपूरक वृक्षारोपण, एन.पी.वी. हेतु जमा धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित किया जाये, तदुपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।

(ग) प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनवद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगें कि यदि एन.पी.वी. की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुयी धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

3— विधिवत स्वीकृति जारी होने के बाद प्रस्तावित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जायेगा। अक्षांस एव देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक स्तम्भ के आगे फारवर्ड एवं पीछे बैकवर्ड उनकी दिशा भी लिखनी होगी।

4— प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना तैयार कर इस कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

5— प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।

उपरोक्तानुसार सभी बिन्दुओं की विन्दुवार अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने पर ही विधिवत स्वीकृति हेतु प्रस्ताव उच्च स्तर को प्रेषित किया जा सकेगा।

(डी0एन0 सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
इलाहाबाद।

पत्रांक [illegible] / समदिनांक।

प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि वन संरक्षक / क्षेत्रीय निदेशक, सा0वा0वृत्त, उ0प्र0, इलाहाबाद को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(डी0एन0 सिंह)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
इलाहाबाद।

Copy to
Sri P.C. Verma, AE (C)
For urgent n/a
31/7/18